छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर
।। आदेश।।

नया रायपुर, दिनांक 30/05/2016

क्रमांक 312 /पंचा/शिक्षा/पंग्राविवि/2016 विभागीय आदेश क्रमांक/पंचा/पग्राविवि/22/2011 /1100, दिनांक 02.11.2011 द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शालाओं में कार्यरत शिक्षक (पंचायत) संवर्ग की सेवा में रहते हुए, मृत्यु हो जाने की दशा में उनके आश्रितों को छःमाह के मूल वेतन के बराबर अथवा रू. 25,000/ जो भी कम हो, अनुग्रह राशि भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों की सेवा में रहते हुए, मृत्यु होने पर उनके परिवार को रू. 50,000/– (छःमाह के मूल वेतन की सीमा के अधीन) अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह संशोधन, आदेश जारी होने की तिथि अथवा इसके पश्चात् होने वाले मृत्यु के प्रकरणों में लागू होगा।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्र. F 2016-22-01234, दिनांक 28.05.2016 द्वारा प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के.तिवारी)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 313 /पंचा/शिक्षा/पंग्राविवि/2016 नया रायपुर, दिनांक 30/05/2016
प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्रीजी, छत्तीसगढ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
2. विशेष सहायक,माननीय मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ.ग. शासन, मंत्रालय, महानदी भवन,नया रायपुर।
4. स्टॉफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
5. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ शासन, नगरीय प्रशासन विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।